न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 66/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 20.8.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 कमलाबाई पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राहमण निवासी पचपहाड भवानीमण्डी तह0 पचपहाड जिला झालावाड।
...अपीलार्थी

बनाम

1 किशन बाई पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुराडिया माना तह0 पचपहाड जिला झालावाड।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड।
...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

::निर्णय::

दिनांक 5.12.2019

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी जिला झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरणा सं0 103/दावा/19 बउनवान सरकार बनाम किशनीबाई मे पारित निर्णय दिनांक 1.8.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार पचपहाड की ओर से धारा 136 एलआरएक्ट मे पेश कर ग्राम मुगलाना के खाता सं0 52 मे अंकित खसरा नम्बर 283/810 के स्थान 283/807 शुद्ध किये जाने हेतु पेश किया गया। खसरा नम्बर 283 का एक वाद न्यायालय मे जेरकार होना जिसमे किशनबाई प्रतिवादी होना वर्णित करते हुये तहसीलदार पचपहाड के पत्र सं0 2718 दिनांक 31.7.2019 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर वादी कमलाबाई के खाते की खसरा नम्बर 283 रकबा 6.11 बीघा इसके अतिरिक्त है जो प्रतिवादी किशनबाई की पायी जाने से शुद्ध किये जाने वाले खसरा नम्बरान का रकबे मे भी कोई अन्तर नही होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे मौका रिपोर्ट अनुसार खाते मे शुद्ध (खसरा परिवर्तन) किये जाने की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 1.8.2019 को आज्ञा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है क्योंकि किशनबाई द्वारा नक्शे मे खसरा नम्बर 283/810 को शुद्धिकरण कर 283/807 किये जाने तहसीलदार पचपहाड के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु तहसीलदार ने किशनबाई के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वयं ने ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी बनकर सरकार बनाम किशनीबाई के नाम से धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो अवैधानिक है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत सरकार का प्रार्थना पत्र अवैधानिक रूप से स्वीकार किया है। पक्षकार के मामले मे तहसीलदार को पक्षकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नही है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार को धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का कानून अधिकार नही है यदि रेस्पो0 किशनबाई द्वारा कोई सहायता चाही गई थी तो उसके बारे मे स्वयं किशन बाई को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये। मूल खसरा नम्बर 283 की आराजी अपीलांट के खाते की है इसके पूर्व ख0 नं0 244 थे ख0 नं0 244 मे भी कोई अलग से टुकडा अंकित नही था परन्तु बाद सेटलमेंट ख0 नं0 283 की आराजी मे सहवन से नक्शे मे 283/810 का टुकडा अंकित कर दिया जबकि खाते मे 283/810 का कोई खाता ही उक्त गांव मे नही है। ख0 नं0 283/807 की आराजी ख0 नं0 283/810 नही है। बिना आधार एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है कानूनन धारा

136 एलआरएक्ट के तहत लिपिकीय त्रुटियां ही पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त की जा सकती है। मूल खसरा नम्बर 283 के खातेदार अपीलांट को पक्षकार नही बनाया जो अवैधानिक है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होते है। विवादित ख0 नं0 283/807 के बारे मे पूर्व खातेदार ने भी कार्यवाही की थी परन्तु पूर्व खातेदारान के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आरएए कोटा के द्वारा दिनांक 3.3.08 को अपील स्वीकार की गई इस तथ्य को भी रेस्पो0 कम–1 व रेस्पो0 कम–2 ने छिपाया है। जिस व्यक्ति से रेस्पो0 ने आराजी क्रय की उसका कोई वैधानिक अधिकार उक्त खसरा नम्बर 283/807 पर अपील अधिकारी ने नही माना। इस आराजी के बारे मे अधीनस्थ न्यायालय मे नियमित वाद के तथ्य भी किशनबाई ने छिपाये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.2019 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 कम–1 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ख0 नं0 283 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है। तहसीलदार पचपहाड ने नक्शा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 1.8.2019 को स्वीकार कर लिया जबकि शुरू मे किशनबाई द्वारा नक्शे मे खसरा नम्बर 283/810 को शुद्धिकरण कर 283/807 किये जाने तहसीलदार पचपहाड के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु तहसीलदार ने किशनबाई के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वयं ने ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी बनकर सरकार बनाम किशनीबाई के नाम से धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो अवैधानिक है। प्राईवेट पक्षकार के मामले मे तहसीलदार को कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नही है। मूल खसरा नम्बर 283 की आराजी अपीलांट के खाते की है इसके पूर्व ख0 नं0 244 थे ख0 नं0 244 मे भी कोई अलग से टुकडा अंकित नही था परन्तु बाद सेटलमेंट ख0 नं0 283 की आराजी मे सहवन से नक्शे मे 283/810 का टुकडा अंकित कर दिया जबकि खाते मे 283/810 का कोई खाता ही उक्त गांव मे नही है। ख0 नं0 283/807 की आराजी ख0 नं0 283/810 नही है। बिना आधार एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है कानूनन धारा 136 एलआरएक्ट के तहत लिपिकीय त्रुटियां ही पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त की जा सकती है। बहस मे यह भी बताया कि विवादित ख0 नं0 283/807 के बारे मे पूर्व खातेदार ने भी कार्यवाही की थी परन्तु पूर्व खातेदारान के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आरएए कोटा के द्वारा दिनांक 3.3.08 को अपील स्वीकार की गई इस तथ्य को भी रेस्पो0 कम–1 व रेस्पो0 कम–2 ने छिपाया है। ख0 नं0 283/807 से बुद्धराम का नाम नही हटाया उसका फायदा उठाया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे यह भी बताया कि नक्शें मे दुरूस्ती धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही की जा सकती। प्रकरण मे हमे पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय करना था। जिस व्यक्ति से रेस्पो0 ने आराजी क्रय की उसका कोई वैधानिक अधिकार उक्त खसरा नम्बर 283/807 पर अपील अधिकारी ने नही माना। इस आराजी के बारे मे अधीनस्थ न्यायालय मे नियमित वाद के तथ्य भी किशनबाई ने छिपाये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 14.12.2010 पेज 764 एवं डीएनजे(रेवे.)2015 पेज 235 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.2019 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1 ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का खसरा नम्बर 283/810 के स्थान 283/807 शुद्ध किये जाने संबधी पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.19 न्यायोचित है। ख0 नं0 283/807 पूर्व मे लक्ष्मीनारायण के नाम थी जिसको मेने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने 810 के स्थान पर 807 दर्ज करने का आदेश पारित किया है क्योंकि सभी राजस्व रिकार्ड मे 807 दर्ज है केवल नक्शे मे 810 सहवन दर्ज हो गया था जिसे शुद्ध करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जेरअपील निर्णय से अपीलांट प्रभावित नही है। अपीलांट के ख0नं0 283 है अपील मिमो मे अपीलांट ने रकबा कम करना वर्णित किया है। प्रकरण मे तहसीलदार ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। पूर्व निर्णयों मे रेस्पो0 कम–1 पक्षकार नही है। न्यायालय के निर्णय आर्डर 41 रूल 27 के साथ अपील प्रकरण मे प्रस्तुत नही की है। निर्णय रेस्पो0 कम–1 पर लागू नही होते है। ख0 नं0 283/807 से अपीलांट का कोई संबध नही है। पूर्व खातेदार लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध अपीलांट ने आपत्ति नही की गई रेस्पो0 कम–1 उक्त वर्णित आराजी का क्रेता है जिस पर आपत्ति की गई है। तहसीलदार धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही स्वयं भी पेश कर सकता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है। खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तहसीलदार पचपहाड के पत्र सं0 2718 दिनांक 31.7.2019 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर कमलाबाई के खाते की खसरा नम्बर 283 रकबा 6.11 बीघा इसके अतिरिक्त है जो प्रतिवादी किशनबाई की पायी जाने से शुद्ध किये जाने वाले खसरा नम्बरान का रकबे मे भी कोई अन्तर नही होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे मौका रिपोर्ट अनुसार खाते मे शुद्ध (खसरा परिवर्तन) किये जाने की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 1.8.2019 को आज्ञा पारित की गई। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "किशनबाई द्वारा नक्शे मे खसरा नम्बर 283/810 को शुद्धिकरण कर 283/807 किये जाने हेतु तहसीलदार पचपहाड के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु तहसीलदार ने किशनबाई के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वयं ने ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी बनकर सरकार बनाम किशनीबाई के नाम से धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो अवैधानिक है। पक्षकार के मामले मे तहसीलदार को पक्षकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नही है। मूल खसरा नम्बर 283 की आराजी अपीलांट के खाते की है इसके पूर्व ख0 नं0 244 थे ख0 नं0 244 मे भी कोई अलग से टुकडा अंकित नही था परन्तु बाद सेटलमेंट ख0 नं0 283 की आराजी मे सहवन से नक्शे मे 283/810 का टुकडा अंकित कर दिया जबकि खाते मे 283/810 का कोई खाता ही उक्त गांव मे नही है। ख0 नं0 283/807 की आराजी ख0 नं0 283/810 नही है। बिना आधार एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है कानूनन धारा 136 एलआरएक्ट के तहत लिपिकीय त्रुटियां ही पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त की जा सकती है। मूल खसरा नम्बर 283 के खातेदार अपीलांट को पक्षकार नही बनाया। विवादित ख0 नं0 283/807 के बारे मे पूर्व खातेदार ने भी कार्यवाही की थी परन्तु पूर्व खातेदारान के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आरएए कोटा के द्वारा दिनांक 3.3.08 को अपील स्वीकार की गई इस तथ्य को भी रेस्पो0 क्रम–1 व रेस्पो0 क्रम–2 ने छिपाया है। जिस व्यक्ति से रेस्पो0 ने आराजी क्रय की उसका कोई वैधानिक अधिकार उक्त खसरा नम्बर 283/807 पर अपील अधिकारी ने नही माना। इस आराजी के बारे मे अधीनस्थ न्यायालय मे नियमित वाद के तथ्य भी किशनबाई ने छिपाये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानों के विपरीत है"। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार पचपहाड द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की अभिशंषा पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.2019 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे मुख्य अनुतोष नक्शें मे दुरूस्ती से संबधित चाहा गया है। धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत केवल सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नक्शे मे दुरूस्ती का आदेश पारित करना विधिक रूप से उचित नही ठहराया जा सकता। इस संन्दर्भ मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरडी 14.12.2010 चस्पा होती है। प्रकरण के अवलोकन से जेरअपील निर्णय मे वर्णित आराजी के संबध मे प्रथम दृष्टया दो पक्षो के हित निहित होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे तहसीलदार पचपहाड द्वारा किशनीबाई पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया माना द्वारा नक्शें मे दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वयं की ओर से धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी मे प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना प्रकरण मे मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाते हुये प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना आलोच्य निर्णय पारित कर त्रुटि की जाना प्रकट होता है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे(रेवे.) 2015 पेज 235 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होती है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुमार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 1.8.2019 विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी को निर्णय मे विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर संबधित पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 5.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा